अति आवश्यक / महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली–110031
दूरभाष संख्या 22424989

सं. सी.ई.एफ. / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2022 / 7486 दिनांक 23-3-22

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

विषयः– विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 55 दिनांक 24–03–2022 के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 14–03–2022 का अवलोकन करें जिसके साथ उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 55 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है । इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ हेतु संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्त।

(रवीन्द्र कुमार)
कार्य सर्वेक्षक / नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. दिल्ली सरकार

सं. सी.ई.एफ. / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2022 / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –2 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार, तीसरा तल, एम् एस ओ बिल्डिंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली– 02 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

कार्य सर्वेक्षक / नोडल अधिकारी

कार्यालय मुख्य अभियंता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार, एल. एम बंध कार्य परिसर
शास्त्री नगर दिल्ली-110031.

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या :— 55 (अतारांकित)

दिनांक :— 24 / 03 / 2022

प्रश्नकर्ता का नाम :— श्री भूपिंदर सिंह जून

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियत्रंण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सच है कि आई एंड एफसी जैसे सरकारी विभाग निजी फर्म / ठेकेदारों को बहुत कम दरों पर यानी निविदा राशि से 50–60 प्रतिशत कम पर काम दे रहे है;	आई एंड एफसी विभाग e-procurement portal प्रकिया का अनुपालन करता है और CPWD कार्य नियमावली के अनुसार सबसे कम दर वाले निविदाकर्ता को कार्य प्रदान किया जाता है।
ख	यदि ठेकेदारों / फर्मों द्वारा उद्धत दरें निविदा की अनुमानित दर की तुलना में 50 प्रतिशत से कम हैं तो क्या फिर भी किसी विभाग द्वारा सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और दिशानिर्देशों के तहत काम दिया जा सकता है;	उपरोक्तानुसार
ग	क्या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अथवा परंपरा है जिसके अनुसार कार्य निष्पादन की गांरटी हेतु शेड्ड राशि /मार्जिन मनी को जमा कराया जा सके, ताकि फर्म / कंपनी द्वारा कार्य को संतोड्ढजनक ढंग से एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके;	कार्य निष्पादन की गांरटी कार्यों के अनुबंध की शर्तो के अनुसार जमा कराई जाती है।
घ	क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में किसी फर्म / ठेकेदार को कार्य को बीच में छोड़ने या निर्धारित अवधि में उसे पूरा नहीं करने पर ब्लैक लिस्ट करने का कोई नियम / दिशानिर्देश हैं; और	किसी फर्म / ठेकेदार द्वारा कार्य को बीच में छोड़ने या निर्धारित अवधि में उसे पूरा नहीं करने पर कार्यों के अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
ड.	क्या किसी स्वतंत्र सरकारी निकाय द्वारा किसी तीसरे पक्ष के ऑडिट की अनुपस्थिति में ठेकेदारों / फर्मों द्वारा किए गए कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है?	स्वतंत्र सरकारी निकाय द्वारा किसी तीसरे पक्ष के ऑडिट की अनुपस्थिति में ठेकेदारों/फर्मों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्य स्थल पर कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता कार्यस्थल से नमूने लेकर गुणवत्ता की जांच विभागीय प्रयोगशाला या अन्य सरकारी मंजूरी प्राप्त निजी प्रयोगशाला में कराई जाती है।

ASW
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

(रवीन्द्र कुमार)
नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार